कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सवाई माधोपुर

कमांक : 216 दिनांक : 13.03.2026

विज्ञप्ति

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के पत्र कमांक एफ–7(136)/रालसा/संस्था–संविदा सेवा/2026/156 दिनांक 10.03.2026 द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर एवं अधीनस्थ तालुका विधिक सेवा समिति कार्यालय गंगापुर सिटी, बौंली, बामनवास व खण्ड़ार हेतु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के स्वीकृत रिक्त पदो के विरूद्ध संविदा सेवा के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026–27 (दिनांक 01.04.2026 से 31.03.2027 तक अथवा नियमित भर्ती होने तक, जो भी पूर्व में हो) के लिए निम्नानुसार कुल 08 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद स्वीकृत किए गए हैं:–

1. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सवाई माधोपुर – 04
2. तालुका विधिक सेवा समिति, गंगापुर सिटी, बौंली, बामनवास व खण्ड़ार– 01–01 (कुल 04 पद)

उक्त स्वीकृत एवं रिक्त पदों हेंतु कार्मिक विभाग के परिपत्र एफ 17(10)डी.ओ.पी./ए–द्वितीय/94 दिनांक 08.02.2018 तथा संविदा सेवाओं के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों के दिशा निर्देशों की पालना में सेवानिवृत्त कर्मचारी/विपरीत प्रतिनियुक्ति पर उपलब्ध कार्मिको को संविदा पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद पर निम्नानुसार प्राथमिकता के आधार पर ली जानी है–

1. राज्य सरकार के विभागों से सेवानिवृत्त समान संवर्ग के कर्मचारीगण

राज्य सरकार से सेवानिवृत्त कार्मिक जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं हुई है, ऐसे इच्छुक कर्मचारीगण विज्ञप्ति के साथ संलग्न प्रारूप में निम्न दस्तावेजों सहित आवेदन करें–

1. सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन बाबत एलपीसी
2. पी.पी.ओ.
3. स्वास्थ्य प्रमाण पत्र
4. कार्मिक के विरूद्ध प्राथमिक/विभागीय जांच नहीं होने अथवा कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा जारी प्रमाण पत्र
5. वेतन निर्धारण प्रमाण पत्र जिसमें ग्रेड–पे अंकित हो।

उक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवाऐं माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर से प्राप्त आदेशों/निर्देशों के अध्ययधीन प्रभावी रहेगी। उक्त पदों पर सेवाओं का पारिश्रमिक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत देय होगा।

अतः सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवाऐं देने वाले इच्छुक व्यक्ति दिनांक 23.03.2026 को दोपहर 01:00 बजे तक इस कार्यालय में अपना आवेदन संलग्न प्रारूप में पूर्ण रूप से भरकर प्रस्तुत करें, इसके उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
सवाई माधोपुर

कमांकः स्था./204–215 दिनांकः 13.03.2026

प्रतिलिपिः

1. श्रीमान् सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर
2. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सवाई माधोपुर
3. श्रीमान् अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सवाई माधोपुर
4. श्रीमान् जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर को समस्त अधीनस्थ कार्यालय/विभाग को सूचित करने हेतु।
5. अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति, गंगापुर सिटी/बौंली/बामनवास/खण्डार
6. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा/जिला न्यायालय/कार्यालय जिला कलेक्टर/तालुका गंगापुरसिटी/तालुका बौंली/तालुका बामनवास/तालुका खण्डार, जिला सवाई माधोपुर को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
7. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, सवाई माधोपुर को प्रेषित कर लेख हैं कि जिले के सभी स्थानीय निकाय एवं स्वायत्त संस्थाओं को विपरीत प्रतिनियुक्ति पर कार्मिक उपलब्ध कराये जाने हेतु जारी विज्ञप्ति के संबंध में सूचित करने का श्रम करें।
8. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, सवाई माधोपुर

को जिला न्यायालय, सवाई माधोपुर की वेबसाईट पर अपलोड किए जाने हेतु प्रेषित है।

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
सवाई माधोपुर

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सवाई माधोपुर

दिनांक : 13.03.2026

क्रमांक : 216

विज्ञप्ति

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के पत्र क्रमांक एफ–7(136)/रालसा/संस्था–संविदा सेवा/2026/156 दिनांक 10.03.2026 द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर एवं अधीनस्थ तालुका विधिक सेवा समिति कार्यालय गंगापुर सिटी, बौंली, बामनवास व खण्ड़ार हेतु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के स्वीकृत रिक्त पदो के विरूद्ध संविदा सेवा के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026–27 (दिनांक 01.04.2026 से 31.03.2027 तक अथवा नियमित भर्ती होने तक, जो भी पूर्व में हो) के लिए निम्नानुसार कुल 08 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद स्वीकृत किए गए हैं:–

1. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सवाई माधोपुर – 04
2. तालुका विधिक सेवा समिति, गंगापुर सिटी, बौंली, बामनवास व खण्ड़ार– 01–01 (कुल 04 पद)

उक्त स्वीकृत एवं रिक्त पदों हेंतु कार्मिक विभाग के परिपत्र एफ 17(10)डी.ओ.पी./ए–द्वितीय/94 दिनांक 08.02.2018 तथा संविदा सेवाओं के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों के दिशा निर्देशों की पालना में सेवानिवृत्त कर्मचारी/विपरीत प्रतिनियुक्ति पर उपलब्ध कार्मिको को संविदा पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद पर निम्नानुसार प्राथमिकता के आधार पर ली जानी है–

1. राज्य सरकार के विभागों से सेवानिवृत्त समान संवर्ग के कर्मचारीगण

राज्य सरकार से सेवानिवृत्त कार्मिक जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं हुई है, ऐसे इच्छुक कर्मचारीगण विज्ञप्ति के साथ संलग्न प्रारूप में निम्न दस्तावेजों सहित आवेदन करें–

1. सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन बाबत एलपीसी
2. पी.पी.ओ.
3. स्वास्थ्य प्रमाण पत्र
4. कार्मिक के विरूद्ध प्राथमिक/विभागीय जांच नहीं होने अथवा कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा जारी प्रमाण पत्र
5. वेतन निर्धारण प्रमाण पत्र जिसमें ग्रेड–पे अंकित हो।

उक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवाऐं माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर से प्राप्त आदेशों/निर्देशों के अध्ययधीन प्रभावी रहेगी। उक्त पदों पर सेवाओं का पारिश्रमिक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत देय होगा।

अतः सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवाऐं देने वाले इच्छुक व्यक्ति दिनांक 23.03.2026 को दोपहर 01:00 बजे तक इस कार्यालय में अपना आवेदन संलग्न प्रारूप में पूर्ण रूप से भरकर प्रस्तुत करें, इसके उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
सवाई माधोपुर

क्रमांकः स्था./204–215
दिनांकः 13.03.2026

प्रतिलिपिः

1. श्रीमान् सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर
2. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सवाई माधोपुर
3. श्रीमान् अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सवाई माधोपुर
4. श्रीमान् जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर को समस्त अधीनस्थ कार्यालय/विभाग को सूचित करने हेतु।
5. अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति, गंगापुर सिटी/बौंली/बामनवास/खण्डार
6. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा/जिला न्यायालय/कार्यालय जिला कलेक्टर/तालुका गंगापुरसिटी/तालुका बौंली/तालुका बामनवास/तालुका खण्डार, जिला सवाई माधोपुर को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
7. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, सवाई माधोपुर को प्रेषित कर लेख हैं कि जिले के सभी स्थानीय निकाय एवं स्वायत्त संस्थाओं को विपरीत प्रतिनियुक्ति पर कार्मिक उपलब्ध कराये जाने हेतु जारी विज्ञप्ति के संबंध में सूचित करने का श्रम करें।
8. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, सवाई माधोपुर

को जिला न्यायालय, सवाई माधोपुर की वेबसाईट पर अपलोड किए जाने हेतु प्रेषित है।

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
सवाई माधोपुर

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सवाई माधोपुर

।। राज्य सरकार के सेवानिवृत अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में संविदा, पुनर्नियुक्ति सेवाएं लेने के लिए आवेदन प्रारूप ।।

1. सेवानिवृत कर्मचारी का नाम :
2. पिता/पति का नाम :
3. जन्मतिथि :
4. पता :

5. आयु (दिनांक) को :
6. अर्हताएं :
7. मूल विभाग का नाम :
8. सेवा निवृति से पूर्व धारित पद :
9. अनुभव :

10. सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन :
 (रनिंग पे बेण्ड वेतन + ग्रेड पे)
 एलपीसी संलग्न है)
11. मूल पेंशन राशि :
 (पीपीओ प्रति संलग्न है)
12. धारित पद का वेतनमान :
 (सेवानिवृत्त के समय)
13. विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र :
 (संलग्नानुसार है)

सेवा निवृत्त अधिकारी/कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने के लिए वचनबंध

अधोहस्तक्षरी, राज्य सरकार के सेवानिवृत कार्मिकों के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र एवं माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त आदेशों/निर्देशों में दिये गये सहमत निर्बधनों और शर्तों के अनुसरण में अपनी सेवानिवृत्त के पश्चात् राज्य सरकार में संविदात्मक पुनर्नियुक्ति सेवाओं करने का इच्छुक है। अधोहस्ताक्षरी संविदात्मक वचनबंध के उक्त निर्बधनों और शर्तों को मानने के लिए इसके द्वारा सहमत है और वचन देता है

स्थान :

दिनांक :

सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी
के हस्ताक्षर

14. गृह जिला :

15. स्थाई पता :

.....

.....

16. वर्तमान पता :

.....

.....

17. शैक्षणिक योग्यता :

18. ई–मेल एड्रेस (यदि हो तो) :.....

19. मोबाईल नम्बर (यदि हो तो) :

20. आधार क्रमांक (यदि हो तो) :

21. राष्ट्रीयता :.....

22. यदि अभ्यर्थी वर्तमान में किसी राजकीय सेवा में है तो–

पदसेवा की अवधि विभाग

(अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र विभागाध्यक्ष के माध्यम से प्रेषित करें या विभागाध्यक्ष की लिखित अनापत्ति संलग्न करें)

23. नियोजन कार्यालय का पंजीयन क्रमांक वैद्यता अवधि (यदि हो तो):

24. निकटतम पुलिस स्टेशन का नाम :

25. संलग्न दस्तावेज :–

1		6	
2		7	
3		8	
4		9	
5		10	

दिनांक :

हस्ताक्षर
आवेदक

विभागाध्यक्ष का प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिये गये आवेदन प्रारूप में बिन्दु संख्या 1 से 13 तक तथ्य सत्य पाये गये हैं और श्री/श्रीमति..... पुत्र/पत्नी जो सेवानिवृत्ति से पूर्व पद पर विभाग मे कार्य कर रहा था, के संबंध में विभाग में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर सत्यापित किये जाते है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि विभाग में सेवा की कालावधि के दौरान श्री/श्रीमतिकी सेवा और व्यवहार संतोषजनक रहा था और सरकार में संविदात्मक वचनबंध के विचार के लिए उसकी अभ्यर्थिता की इसके द्वारा सिफारिश की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जात है कि सेवानिवृत्ति के समय श्री/श्रीमति रू मासिक मल वेतन (रनिंग पे बैण्ड वेतन + ग्रेड पे) आहरित कर रहा था/कर रही थी और कि श्री/श्रीमति अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त हो गया/गयी है और श्री/श्रीमति के विरूद्ध कोई विभागीय जांच/आपराधिक मामला लंबित नही है तथा इनकी सेवाएं जिस पद के विरूद्ध ली जा रही है, उससे किसी प्रकार नियमित कार्मिक की पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव नही होगा।

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर मय सील

संतान सम्बन्धी घोषणा–पत्र

मैं..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री निवासी
.....तहसील.....जिलाएतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे दिनांक 01.06.2002 को या इसके बाद तीसरी सन्तान उत्पन्न नही हुई है।

स्थान :–

दिनांक :–

हस्ताक्षर शपथ कर्ता

या

मैं..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री निवासी
.....तहसील.....जिलाएतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं अभी अविवाहित हूँ।

स्थान :–

दिनांक :–

हस्ताक्षर शपथ कर्ता